कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)
झारखण्ड, राँची।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, अर्न्तगत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण किए जाने से संबंधी एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के चयन सह सूचीबद्ध करने हेतु

"इच्छा की अभिव्यक्ति" संख्या–02/2026–27

जोड़ा बैल वितरण हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

राज्यादेश संख्या–07 रा० (वि०) दिनांक–05.06.2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को खेती करने के लिए बैल की आवश्यकता तथा कृषि कार्य में उन्नति लाने के उद्देश्य से Castrated नर बाछाओं का जोड़ा बैल के रूप में राज्य के सुदुरवर्ती क्षेत्रों में वितरण करने की योजना है, जिससे कि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग तथा अधिक मुनाफा हो सके।

उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या–07 रा० (वि०) दिनांक–05.06.2026 के अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों में राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण योजना के तहत् जोड़ा बैल चयनित एवं अनुशंसित लाभुकों को योजना में वर्णित राशि की अधिसीमा में उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के निमित एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को सूचीवद्ध किए जाने हेतु पशुपालन निदेशालय इच्छुक एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs से वर्णित पात्रता/मापदण्ड में आवेदन की मांग करता है :–

कार्यक्षेत्र	झारखण्ड राज्य के सभी जिलें।
लक्ष्य	कृषि कार्य में उन्नति लाने के उद्देश्य से किसानों को कम लागत में कृषि कार्य में सहयोग हेतु राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच जोड़ा बैल की आपूर्ति।
आवेदन शुल्क	1000/– (एक हजार रूपये मात्र) का Non-Refundable बैंक ड्राफ्ट Director Animal Husbandry, Government of Jharkhand के नाम से एवं देय राँची। **(बैंक ड्राफ्ट हाथों–हाथ कार्यालय में जमा कर दस्तावेज/आवेदन प्राप्त किया जाएगा)**
इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज प्राप्त/जमा करने संबंधी विवरण	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि : **17.11.2026** दस्तावेज प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : **25.11.2026** समय अपराहन् 05:00 बजे तक। जमा करने की अन्तिम तिथि : **26.11.2026** समय अपराहन् 05:00 बजे तक। प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति प्रस्तावों को खोलने की तिथि: **27.11.2026** समय अपराहन् 03:00 बजे।
इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज/आवेदन जमा करने का पता	पशुपालन निदेशालय, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची–834003. इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs द्वारा उपरोक्त पते पर अपना प्रस्ताव कार्यालय में हाथों–हाथ जमा किया जा सकता है। www.jharkhand.gov.in से इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज/आवेदन डाउनलोड करने की स्थिति में इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करते समय 1000 रू० का ड्राफ्ट (आवेदन शुल्क) संलग्न करना है।

13/11/26

महानिदेशक, पशुपालन

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)
झारखण्ड, राँची।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, अर्न्तगत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण किए जाने से संबंधित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के चयन सह सूचीबद्ध करने हेतु

"इच्छा की अभिव्यक्ति" संख्या–02/2026–27

जोड़ा बैल वितरण हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

राज्यादेश संख्या–07 रा० (वि०) दिनांक–05.06.2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को खेती करने के लिए बैल की आवश्यकता तथा कृषि कार्य में उन्नति लाने के उद्देश्य से Castrated नर बाछाओं का जोड़ा बैल के रूप में राज्य के सुदुरवर्ती क्षेत्रों में वितरण करने की योजना है, जिससे कि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग तथा अधिक मुनाफा हो सके।

उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या–07 रा० (वि०) दिनांक–05.06.2026 के अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों में राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण योजना के तहत् जोड़ा बैल चयनित एवं अनुशंसित लाभुकों को योजना में वर्णित राशि की अधिसीमा में उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के निमित झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के साक्षर बेरोजगार महत्वकांक्षी पशुपालक जो खुद के स्वालम्बन के लिए पशु आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते है। इस **"इच्छा की अभिव्यक्ति"** के तहत् निर्धारित आहर्त्ता के लिए स्वीकारोक्ति/सहमति पत्र के साथ पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, पशुपालन भवन, हेसांग, हटिया, राँची में अपना आवेदन उपलब्ध करा सकते है।

कार्यक्षेत्र :– झारखण्ड के सभी जिलें।

निदेशालय :– योजनान्तर्गत वर्णित लक्ष्य पशुपालन प्रभाग के द्वारा लक्ष्यों का कुल योग है।

योजना संबंधी विवरणी :–

1. **जोड़ा बैल योजना की विवरणी** :– योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

(क) देशी (Descript) नस्ल का बैल।

(ख) बैल की उम्र 2 से 3 वर्ष।

(ग) बैल रोग मुक्त, HS & BQ तथा FMD रोग से बचाव हेतु टीकाकृत होना चाहिए।

(घ) जोड़ा बैल वितरण से पूर्व स्वास्थ्य की जाँच संबंधित जिला के पशु शल्य चिकित्सक के द्वारा की जाएगी।

(ड.) योजना 90% अनुदान पर संचालित होगी। लाभुक को 10% राशि अपने स्तर से देना होगा।

(च) अनुदान बाजार समिति अर्न्तगत क्रय–विक्रय हेतु निर्धारित दर अथवा अधिकतम निर्धारित दर (दोनों में से जो कम हो) का 90% देय होगा।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	विवरणी	अनुमानित व्यय
1	जोड़ा बैल (प्रति बैल अधिकतम रू० 20,000/– की दर से)	40,000/–
2	**Quarantine Period Cost**	**To be borne by the agency**

पात्रता मापदंड :–

1. न्यूनतम 21 वर्ष की आयु हो। साक्षर एवं पढ़ने लिखने में सक्षम हो। (साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न)
2. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के द्वारा PAN Card एवं GST (जहाँ लागू हो) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का न्यूनतम Turnover 05 लाख रूपये C.A. Report के साथ अनिवार्य होना चाहिए।
4. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का विगत तीन वर्षों का बैंक A/c Statement, Audited Balance sheet तथा ITR उपलब्ध कराना होगा।
5. झारखण्ड राज्य में न्यूनतम 10 डिसमिल भू–स्थल/भू–खण्ड खुद के नाम पर (साक्ष्य सहित) या भू–स्थल/भू–खण्ड का न्यूनतम 10 वर्षों का लीज़ एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। 10 डिसमिल फर्म के लिए 1:3 शेड व 2:3 खुला स्थान के व्यवस्था परिसंपत्ति के लिए होनी चाहिए।
6. फार्म में बैल के साथ आपूर्तिकर्त्ता का Geo Tagging Photograph होना आवश्यक है। जाली फोटोग्राफ/दस्तावेज प्राप्त होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।
7. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को कम से कन तीन वर्षों का व्यवसायिक अनुभव एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
8. सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था को आपूर्ति करने का अनुभव रखने वाले एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को प्राथमिकता दी जाएगी। योजनान्तर्गत सफल आपूर्तिकर्ता संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र एवं योजना संबंधी क्रय–विक्रय विपत्र (Invoice) उपलब्ध कराना होगा। कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र का प्रति संलग्न करना होगा।

नोटरीकृत शपथ पत्र :–

1. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का नोटरी पब्लिक के द्वारा Affidavit कराकर देना होगा कि संस्था एवं उनके सदस्यों के विरूद्ध न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नहीं है एवं विगत 03 वर्षों से एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को पशुपालन विभाग सहित किसी अन्य विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी है।
2. आपूर्तिकर्ता को वर्णित अधिसीमा के अन्दर ही परिसम्पत्ति वितरण करने हेतु For Destination (लाभुकों के घर तक) संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा वर्णित कार्य किसी अन्य एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को सबलेट (अपने आलावा दूसरे को) नहीं किया जाएगा। इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किए गए कार्य संतोषप्रद एवं गुणवत्तायुक्त नहीं होने की स्थिति में उनके चयन को रद्द करते हुए काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई की जाएगी एवं अगले तीन वर्षों तक पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. उक्त बैल के वितरण से पूर्व अनिवार्य टीकाकरण एवं संगरोध (Quarantine) अवधि 15 दिन रखने आदि कार्यो में होने वाले व्यय के वहन की जिम्मेवारी संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी। इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

6. बैल के कोरंटाइन किए जाने हेतु स्थल/भूखण्ड की उपलब्धता से संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. सभी आवेदक स्वस्थ, रोग मूक्त योजना अनुरूप जोड़ा बैल की आपूर्ति करने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

8. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा पशुओं की आपूर्ति के समय पशुचिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जिसमें उम्र दर्ज हो), टीकाकरण, संगरोध (Quarantine) संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इस संदर्भ में नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

नियम एवं शर्तेः–

1) इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव/आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में मुहरबंद लिफाफे में देना होगा जिस पर इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का नाम, पता, मोबाईल नं० सभी स्पष्ट लिखा होना चाहिए।

2) उक्त योजना के दौरान सभी अनिवार्य टीकाकरण आदि कार्यों में होने वाले व्यय की वहन की जिम्मेवारी चयनित ऐजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs की होगी।

3) पशुओं को 15 दिवस का संगरोध (Quarantine) हेतु अलग से स्थान (Safe Zone) होना चाहिए। संगरोध (Quarantine) उपरान्त ही पशुओं की आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में संबंधित जिला के पशुपालन पदाधिकारी द्वारा Inspection प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा।

4) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 15 दिनों के निश्चित संगरोध (Quarantine) के उपरान्त आवश्यक टीकाकरण (यथा–H. S B.Q & FMD etc.) कराने के बाद ही लाभुकों को आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में आपूर्ति के समय जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सक द्वारा जारी संगरोध (Quarantine) टीकाकरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की एक प्रति लाभुक को हस्तगत कराई जाएगी।

5) बैल आपूर्ति के दौरान अथवा आपूर्ति के 15 दिनों तक किसी भी कारण से असमायिक मृत्यु होने पर उसकी पूर्ण जवाबदेही आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी तथा उन सभी बैल का प्रतिस्थापन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

6) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/पशुपालन एवं पशुचिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा Breed, Age, स्वास्थ्य आदि निरीक्षण/जांच के आधार पर पशुओं को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

7) पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा किसी भी तरह के जाँच (फार्म या वितरण संबंधी) के क्रम में त्रुटि पाए जाने पर अगले तीन वर्षों के लिए सूचीवद्ध आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची डाल दिया जाएगा।

8) चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता को गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादन करने के निमित पशुपालन निदेशालय के साथ 100/– रू० के Stamp Paper पर पशु पक्षी आपूर्ति से संबंधित एकरारनामा करना होगा।

9) चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता प्रत्येक माह में किए गए कार्यों का भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन चयनित इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं एक प्रति निदेशालय में ई–मेल (ahdjharkhand@gmail.com) द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

10) उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति को जिला आवंटन/कम करना, किसी भी समय बिना कारण बताए हुए महानिदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची को रद्द करने का अधिकार होगा।

11) इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद राँची स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

12) जिन अभिलेखों/दस्तावेजों की मांग की गई है, उन अभिलेखों/दस्तावेजों को स्पाइरल बाईडिंग एवं पृष्ठाकंन (पेजिंग) Indexing किया हुआ होना चाहिए अन्यथा यह स्वीकार नहीं होगा।

13) "इच्छा की अभिव्यक्ति" की सभी दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफा में भरकर महानिदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को संबोधित प्रस्ताव डाक/हाथों–हाथ प्राप्त किया जायेगा।

14) एक आपूर्तिकर्ता को अधिकतम 4 जिला आवंटित किया जाएगा

15) जिला के आवंटन की संख्या आवश्यकता के आधार पर महानिदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची के द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

16) सभी दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या अंकित करना आवश्यक है तथा इसका विवरण चेक लिस्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। पृष्ठ संख्या दर्ज नहीं करने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

लिफाफे के ऊपर एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का नाम, पता, **'इच्छा की अभिव्यक्ति'** का फार्म नंबर एवं जमा करने की तिथि अवश्य दर्ज होनी चाहिए।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" को निम्न पते पर भेजें

महानिदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, पशुपालन भवन, हेसांग, हटिया, राँची
पिन कोड–834003

इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs द्वारा उपरोक्त पता पर कार्यालय में हाथों–हाथ एवं डाक द्वारा तथा एक प्रति ई–मेल (ahdjharkhand@gmail.com) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

- प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति को विभागीय वेबसाईट https://animalhusbandry.jharkhand.gov.in/ अथवा https://www.jharkhand.gov.in/agriculture पर भी देखा जा सकता है।

13/11/20

महानिदेशक, पशुपालन

झारखण्ड राज्य में राज्य योजनान्तर्गत संचालित जोड़ा बैल वितरण योजना की आपूर्त्ति के लिए एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs संस्था के चयन हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आवेदन पत्र :–

स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाए

सेवा में,

महानिदेशक,
पशुपालन,
झारखण्ड, राँची।

महाशय,

मैं निम्नवत् स्वयं का पूर्ण विवरण देते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण किए जाने से संबंधित चयनित लाभुकों के बीच जोड़ा बैल की आपूर्ति राज्य के जिलों में करने हेतु सूचीवद्ध होने के लिए इच्छुक हूँ। अनुरोध है कि मुझे सूचीवद्ध करने की कृपा की जाय।

सूचीवद्धता हेतु अनिवार्य दस्तावेज/विवरणी निम्नवत् हैं :–

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी व अंग्रेजी में) :–
   (पहचान हेतु आधार/वोटर कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
2. पिता का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी में) :–
3. उम्र :–
   (साक्ष्य के साथ)
4. आवेदक का स्थाई पता
   ग्राम :– पोस्ट :– थाना:–
   जिला :– राज्य :– पिन :–
5. आवेदक का वर्त्तमान पता
   ग्राम :– पोस्ट :– थाना :–
   जिला :– राज्य :– पिन :–
6. दूरभाष सं०/मोबाईल नं० (वाट्सएप मोबाईल नं०) :–
7. I. निवासी
   II. जिला का नाम जिसके लिए संस्था/एजेन्सी :–
   सूचीबद्ध होना चाहते हैं (एक से अधिक–अधिकतम 3 जिलें)
8. शैक्षणिक योग्यता :–
9. आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN (पैन) No :–
   (छायाप्रति संलग्न करें)
10. बैल वितरण से संबंधित कार्य अनुभव/क्रय–विक्रय विपत्र/अभिश्रव (Invoice) का ब्यौरा:–
11. दस्तावेज/आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु निबंधन शुल्क के रूप में देय ...../– (..... रूपये) का विवरण :–
    - बैंक का नाम :–
    - बैंक डी०डी० का नं०/दिनांक :–
    - बैंक डी०डी० की राशि :–

आवेदक का हस्ताक्षर

Check List

क्र०सं०	विवरणी	पृष्ठ संख्या
1	आवेदनकर्त्ता का नाम एवं पूर्ण पता (पहचान हेतु आधार/वोटर कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति)	
2	जिला का नाम जिसके लिए संस्था/एजेन्सी सूचीबद्ध होना चाहते हैं (अधिकतम 3)	
3	पढ़ने लिखने में सक्षम संबंधित साक्ष्य (प्रमाण–पत्र)	
4	PAN Card संबंधित साक्ष्य	
5	GST में पंजीकृत संबंधित साक्ष्य	
6	झारखण्ड राज्य में फार्म सम्बंधित साक्ष्य	
7	Geo tagging Photographs फार्म संबंधित 4 फोटो जिला पशुपालन से सत्यापित	
8	पशु वितरण से संबंधित कार्य अनुभव/क्रय–विक्रय विपत्र/अभिश्रव (Invoice) का व्यौरा (तीन वर्षों का सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था में योजनान्तर्गत वितरण) /कार्यादेश।	
9	बैल के कोरंटाइन किए जाने हेतु स्थल/भूखण्ड की उपलब्धता से संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र	
10	सभी आवेदक स्वस्थ, रोग मूक्त योजना अनुरूप पशुओं की आपूर्ति करने संबंधी घोषणा–पत्र	
11	आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पशुओं की आपूर्ति के समय पशुचिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जिसमें उम्र दर्ज हो), टीकाकरण, संगरोध (Quarantine) संबंधित नोटरीकृत शपथ–पत्र	
12	आयकर रिटर्न न्यूनतम तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)	
13	विगत तीन वर्षों का Balance sheet and Bank Account Statement	
14	वार्षिक टर्नओवर C.A. Report per district	
15	कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक Quarantine-Vaccination & Insurance संबंधित नोटरी शपथ पत्र	

क्र०सं०	विवरणी	पृष्ठ संख्या
16	एजेन्सी/संस्था/आपूर्तिकर्ता एवं उनके सदस्यों के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला/नाम काली सूची में दर्ज नहीं है संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र।	
17	आपूर्तिकर्त्ता को बैल के वितरण हेतु लाभुकों को उनके घर तक उपलब्ध कराने संबंधी For Destination नोटरीकृत शपथ पत्र।	
18	आपूत्तिकर्त्ता द्वारा वितरण संबंधी कार्य अन्य आपूर्त्तिकर्त्ता को सबलेट नहीं करने संबंधी नोटरीकृत शपथ पत्र।	
19	कार्य संतोषप्रद एवं गुणवतायुक्त नहीं होने की स्थिति में उनके चयन को रद्द करने नाम काली सूची में डालने एवं अगले तीन वर्षों तक पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने संबंधी नोटरीकृत शपथ पत्र।	
20	बैंक डी० डी० का प्रमाण–पत्र।	
21	वितरण पूर्व सभी व्यय का वहन शपथ पत्र।	

आवेदक का हस्ताक्षर